न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 01/2026
GCMS Case No. 2026/01

सायल–	**बनाम**	**गैरसायल–**
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		अजय पुत्र मदनलाल, जाति भाट, निवासी म.न. 19 भाटों की गली प्रताप नगर पाली पुलिस थाना औ. क्षेत्र पाली जिला पाली

"इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(V)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975"

उपस्थित :

1. सायल की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी, पाली।

–:निर्णय:–

दिनांक – 18.02.2026

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 19.12.2025 को गैरसायल अजय पुत्र मदनलाल, जाति भाट, निवासी 19 भाटों की गली प्रताप नगर पाली पुलिस थाना औ. क्षेत्र पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5)/3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ वर्ष 2021 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	चालन नम्बर/ दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	123/27.07.2021	13 आरपीजीओ	76/10.08.2021	दिनाक 16.07.2022 को माननीय जेएम संख्या 02 पाली कोर्ट से 100 रूपये का जुर्माना
2	170/23.03.2025	13 आरपीजीओ	52/31.03.2025	दिनाक 21.04.2025 को माननीय एसीजेएम सीआर कोर्ट से 200 रूपये का जुर्माना
3	16/14.01.2025	13 आरपीजीओ	01/17.01.2025	दिनाक 30.01.2025 को माननीय जेएम संख्या 02 पाली कोर्ट से 50 रूपये का जुर्माना
4	134/23.05.2025	13 आरपीजीओ	63/30.05.2025	दिनाक 04.06.2025 को माननीय जेएम संख्या 02 पाली कोर्ट से 50 रूपये का जुर्माना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल अजय पुत्र मदनलाल, जाति भाट, निवासी 19 भाटों की गली प्रताप नगर पाली पुलिस थाना औ. क्षेत्र पाली जिला पाली निरन्तर खुआ खेलने की प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगों का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कांनूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रकरण में लोक अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली का बदमाश व्यक्ति है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 123/27.07.2021, अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत कार्यवाही करते हुए 100 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज मुकदमा नम्बर 170/23.03.2015 में जुर्माना 100 रूपये, मुकदमा नम्बर 16/14.01.2025 में जुर्माना 50 तथा मुकदमा नम्बर 134/23.05.2025 में कार्यवाही करते हुए 50 रूपये का जुर्माना लगाया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5)/3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल अजय पुत्र मदनलाल, जाति भाट, निवासी 19 भाटों की गली प्रताप नगर पाली पुलिस थाना औ. क्षेत्र पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5)/3 के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रोहट जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 05.03.2026 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना रोहट जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल अजय पुत्र मदनलाल, जाति भाट, निवासी 19 भाटों की गली प्रताप नगर पाली पुलिस थाना औ. क्षेत्र पाली जिला पाली इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली गैरसायल अजय पुत्र मदनलाल, जाति भाट, निवासी 19 भाटों की गली प्रताप नगर पाली पुलिस थाना औ. क्षेत्र पाली जिला पाली को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रोहट जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट जिला पाली उनके यहां गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औद्योगिक क्षेत्र पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना रोहट जिला पाली एवं थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली जिला पाली को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली